areas in this project is concerned, that is a function of its viability and synchronisation with the alignment of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Corporation.

*286. [The questioner(s) (Shri Dara Singh and Shri Ramdas Agarwal) were absent. For answer *vide* page 23]

*287. [The questioner (Shrimati Hema Malini) was absent. For answer *vide* page 24]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धन का आबंटन

*288. **श्री सुरेन्द्र लाठ:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने धन का प्रावधान किया गया तथा कुल कितना धन उसमें से आबंटित किया गया;

(ख) राज्य सरकारों ने मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को आबंटित राशि में से कुल कितने धन का उपयोग किया;

(ग) क्या इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय इनका समय-समय पर मूल्यांकन करता है;

(घ) क्या कुछ राज्यों में इन योजनाओं को सही ढंग से लागू न किये जाने की कोई रिपोर्ट सरकार को मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ड.) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण अवसंरचना के सृजन तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) स्व-रोजगार उपलब्ध कराती है जबकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार मुहैया कराना है जिसके द्वारा खाद्य सुरक्षा और पोषक पोषाहार मुहैया कराया जा सके और स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियां तथा अवसंरचना का सृजन किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) इस समय 330 जिलों में कार्यान्वित है तथा 1.4.2008 से देश के सभी जिलों में लागू की जाएगी जिसका उद्देश्य शारीरिक कार्य करने वाले प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार देना है। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) बेघरों को घर मुहैया कराती है। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का उद्देश्य सड़क संपर्कता है, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना और ग्रामीण सुविधाओं का विकास करना है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं जो वाटरशैड आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं। भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करना और भू अभिलेखों को अद्यतन बनाना (एसआरए तथा यूएलआर) की योजनाएं भी कार्यान्वित की जाती हैं। 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान मंत्रालय की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत आबंटन (बजट अनुमान) क्रमश: 15998.40 करोड़ रुपये, 24480.00 करोड़ रुपये तथा 31443.62 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के दौरान वास्तविक रिलीजें 18166.83 करोड़ रुपये, 27488.83 करोड़ रुपये तथा 30981.94 करोड़ रुपये थीं।

2. पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07) के दौरान मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं अर्थात् एसजीआरवाई, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी), एनआरईजीएस, एसजीएसवाई, आईएवाई, पीएमजीएसवाई, आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी, डीडीपी, सीएलआर, एसआरए तथा यूएलआर, एआरडब्ल्यूएसपी तथा टीएससी के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों तथा कुल उपलब्ध निधियों (अथशेष, केन्द्रीय रिलीजों और राज्य रिलीजों तथा विविध प्राप्तियों) में से उपयोग की गई राशि के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। (नीचे **देखिए**)

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के प्रभाव का जायजा लेने और निचले स्तर पर कार्यान्वयन में कमियों का पता

लगाने के लिए समवर्ती मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों के जरिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित योजनाओं का नियमित मूल्यांकन करता है।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुपालन तथा कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, संसद सदस्यों, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी वाली राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली भी बनाई है। राज्य सरकारों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की भी सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- (i) योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी, (iv) ग्राम सभा के माध्यम से लेखा-परीक्षा और (v) कड़ी सतर्कता और निगरानी।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनआरईजीए, एसजीआरवाई, एसजीएसवाई, आईएवाई, डीआरडीए प्रशासन, पीएमजीएसवाई, एआरडब्ल्यूएसपी, एसआरए तथा यूएलआर, सीएलआर, आईडब्ल्यूडी पीडीपीएपी, डीडीपी, तथा टीएससी के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीज तथा व्यय का राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण

(लाख रु. में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
	केन्द्रीय आबंटन	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	110104.22	128573.19	151082.40	144907.23	208883.38	158761.53
अरुणाचल प्रदेश	12422.60	11414.89	20925.74	15487.87	25572.03	21949.30
असम	113758.57	120503.62	139611.49	130891.79	143681.53	146169.00
बिहार	279476.99	207108.51	233061.46	234066.94	225789.98	251261.67
छत्तीसगढ़	39899.73	41374.06	90247.65	106492.47	171471.91	127183.74
गोवा	727.90	1224.63	1110.07	846.34	667.37	814.82
गुजरात	47099.77	47138.40	66700.51	77474.48	74476.59	84851.72
हरियाणा	16822.86	18198.09	21243.25	23617.86	43909.37	32168.20
हिमाचल प्रदेश	12978.70	12872.91	38790.24	33595.44	40497.81	50298.08
जम्मू एवं कश्मीर	20565.79	22078.31	41062.28	33956.36	36044.54	35708.89
झारखण्ड	84703.66	82450.64	125914.84	116913.06	83910.40	120449.65
कर्नाटक	62468.63	71646.66	91889.79	91074.38	97125.62	99277.85
केरल	27954.02	38415.35	30806.46	36671.68	29154.09	39802.36
मध्य प्रदेश	92222.75	102349.53	164271.72	194656.10	371768.59	237519.75
महाराष्ट्र	114213.47	124843.07	146671.03	151492.22	140813.18	164940.87
मणिपुर	7418.83	6272.84	8926.55	8344.92	7976.58	7894.77
मेघालय	9031.41	8210.84	10566.98	10972.76	12422.99	12566.42
मिजोरम	4888.24	4092.66	12986.78	9235.46	12007.08	8847.35
नागालैंड	7936.95	6026.77	16289.02	10971.16	7184.35	12311.45

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	99022.02	113312.21	158490.48	150136.89	192469.98	181617.43
पंजाब	13543.71	11938.07	20151.73	17204.10	22423.87	20476.63
राजस्थान	77940.01	78493.89	156866.28	160016.10	272117.43	224811.77
सिक्किम	2866.52	2899.05	8128.67	7303.62	7217.88	8603.23
तमिलनाडु	70663.13	93076.63	84538.30	96957.25	83504.50	105638.64
त्रिपुरा	13971.01	16369.82	18477.53	19186.70	23326.87	22727.55
उत्तर प्रदेश	209362.42	239176.89	302875.53	309560.47	270580.46	356731.88
उत्तरांचल	21096.62	27501.23	24034.93	28357.04	26327.90	32544.51
पश्चिम बंगाल	92238.64	119203.69	146606.14	127486.14	109590.13	143132.88
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2998.80	157.48	1839.34	182.32	40.84	243.48
दादर नगर हवेली	166.48	57.37	75.78	17.93	82.92	6.15
दमन और दीव	5.04	4.24	11.66	2.73	45.42	3.06
लक्षद्वीप	58.13	20.03	159.39	57.48	193.94	41.15
पांडिचेरी	693.79	193.32	197.34	440.39	377.67	477.05
कुल	1669321.41	1757198.88	2334611.34	2348577.66	2741657.20	2709832.81

Allocation of funds under rural development schemes

†*288. SHRI SURENDRA LATH: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the provision of funds made during the last three years under various rural development schemes by the Ministry and the total amount allocated, out of that;

(b) funds utilized by the State Governments out of the allocations made to various States by the Ministry;

(c) whether the Ministry evaluates these schemes from time to time for their proper implementation;

(d) whether Government has received any report of these schemes not being implemented properly in some States; and

(e) if so, the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) The Ministry of Rural Development through State Governments and Union Territory Administrations implements a number of Centrally Sponsored Schemes for poverty alleviation, employment generation, creation of rural infrastructure and providing basic amenities for people living in rural areas of the country. The Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY) provides self employment, while the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY)

†Original notice of the question was received in Hindi.

aims at providing additional wage employment in rural areas thereby providing food security and improved nutrition, and creation of durable community assets and infrastructure. The National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) presently implemented in 330 districts and will be extended in all the districts of the country w.e.f. 1.4.2008 aims to provide 100 days guaranteed employment to each household who is willing to take manual work. The Indira Awaas Yojana (IAY) provides shelter to the shelterless. Other Rural Development Programmes such as Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) for rural connectivity, Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) and Total Sanitation Campaign (TSC) aim at development of rural infrastructure and rural amenities. Integrated Wastelands Development Programme (IWDP), Drought Prone Areas Programme (DPAP) and Desert Development Programme (DDP) are area development programmes which are implemented on watershed basis. The schemes of Computerization of Land Records (CLR) and Strengthening of Revenue Administration and Updating Land Records (SRA& ULR) are also implemented. Allocation (Budget Estimates) under various rural development schemes of the Ministry was Rs. 15998.40 crore, Rs. 24480.00 crore and 31443.62 crore during 2004-05, 2005-06 and 2006-07 respectively. During the same period, the actural releases were Rs. 18166.83 crore, Rs. 27488.83 crore and Rs. 30981.94 crore.

2. Central funds released and utilized out of total available funds (opening balance, central releases, state releases and misc. receipts) under major schemes of the Ministry viz. SGRY, National Food for Works Programme (NFFWP), NREGS, SGSY, IAY, PMGSY, IWDP, DPAP, DDP, CLR, SRA & ULR, ARWSP and TSC during the last three years (i.e. 2004-05, 2005-06 and 2006-07) are given in the Statement-I (*See* below)

3. The Ministry of Rural Development regularly evaluates the schemes implemented in the States/UTs through independent Research Organizations located in various parts of the country through Concurrent Evaluation, Impact Assessment Studies to assess the impact of the scheme and the shortcomings in the implementation at grass root level. The findings of these studies are brought to the notice of the State Government for remedial actions.

4. The Ministry has also developed a comprehensive system of Monitoring the implementation and impact of the programmes including utilization of funds through Periodical Progress Reports, Performance Review Committee, Area Officer's Scheme, Vigilance and Monitoring Committee at the State/District Level with greater involvement of members of Parliament, National Level Monitors to monitor quality of work, adherence to implementation of schemes as per programme guidelines. Besides, the State have been advised to adopt a five-pronged strategy consisting of (i) creation of awareness about the schemes, (ii) transparency, (iii) People's Partnership, (iv) social audit through Gram Sabha and (v) strict vigilance and monitoring.

Statement-I

State-wise/U.T.-wise Central Releases and Expenditure under NREGA, SGRY, SGSY, IAY, DRDA Admn., PMGSY, ARWSP, SRA & ULR, CLR, IWDP, DPAP, DDP and TSC during last three years

(Rs. in Lakh)

State Name	2004-05		2005-06		2006-07	
	Central Release	Exp	Central Release	Exp Exp	Central Release	Exp
1	2	3	4	5	6	7
Andhra Pradesh	110104.22	128573.19	151082.40	144907.23	208883.38	158761.53
Arunachal Pradesh	12422.60	11414.89	20925.74	15487.87	25572.03	21949.30

1	2	3	4	5	6	7
Assam	113758.57	120503.62	139611.49	130891.79	143681.53	146169.00
Bihar	279476.99	207108.51	233061.46	234066.94	225789.98	251261.67
Chhattisgarh	39899.73	41374.06	90247.65	106492.47	171471.91	127183.74
Goa	727.90	1224.63	1110.07	846.34	667.37	814.82
Gujarat	47099.77	47138.40	66700.51	77474.48	74476.59	84851.72
Haryana	16822.86	18198.09	21243.25	23617.86	43909.37	32168.20
Himachal Pradesh	12978.70	12872.91	38790.24	33595.44	40497.81	50298.08
Jammu & Kashmir	20565.79	22078.31	41062.28	33956.36	36044.54	35708.89
Jharkhand	84703.66	82450.64	125914.84	116913.06	83910.40	120449.65
Karnataka	62468.63	71646.66	91889.79	91074.38	97125.62	99277.85
Kerala	27954.02	38415.35	30806.46	36671.68	29154.09	39802.36
Madhya Pradesh	92222.75	102349.53	164271.72	194656.10	371768.59	237519.75
Maharashtra	114213.47	124843.07	146671.03	151492.22	140813.18	164940.87
Manipur	7418.83	6272.84	8926.55	8344.92	7976.58	7894.77
Meghalaya	9031.41	8210.84	10566.98	10972.76	12422.99	12566.42
Mizoram	4888.24	4092.66	12986.78	9235.46	12007.08	8847.35
Nagaland	7936.95	6026.77	16289.02	10971.16	7184.35	12311.45
Orissa	99022.02	113312.21	158490.48	150136.89	192469.98	181617.43
Punjab	13543.71	11938.07	20151.73	17204.10	22423.87	20476.63
Rajasthan	77940.01	78493.89	156866.28	160016.10	272117.43	224811.77
Sikkim	2866.52	2899.05	8128.67	7303.62	7217.88	8603.23
Tamil Nadu	70663.13	93076.63	84538.30	96957.25	83504.50	105638.64
Tripura	13971.01	16369.82	18477.53	19186.70	23326.87	22727.55
Uttar Pradesh	209362.42	239176.89	302875.53	309560.47	270580.46	356731.88
Uttaranchal	21096.62	27501.23	24034.93	28357.04	26327.90	32544.51
West Bengal	92238.64	119203.69	146606.14	127486.14	109590.13	143132.88
A & N Island	2998.80	157.48	1839.34	182.32	40.84	243.48
D & N Haveli	166.48	57.37	75.78	17.93	82.92	6.15
Damen & Diu	5.04	4.24	11.66	2.73	45.42	3.06
Lakshadweep	58.13	20.03	159.39	57.48	193.94	41.15
Pondicherry	693.79	193.32	197.34	440.39	377.67	477.05
TOTAL:	1669321.41	1757198.88	2334611.34	2348577.66	2741657.20	2709832.81

श्री सुरेन्द्र लाठः महोदय, प्रथमतया मैं हमारे ग्रामीण उद्योग मंत्री जी को बधाई देता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से ग्रामीण विकास के कार्यक्रम लिए हैं। इसके साथ-साथ राज्य मंत्री जी हमारे प्रदेश से हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, वे ठीक ढंग से उन तक पहुंचे, तभी उनका लाभ मिल सकता है। अभी सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, एनआरईजीएस चालू की है। किन्तु यह सूचना मिल रही है कि देश में यह ठीक ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ जगहों पर ठेकेदारों के माध्यम से फर्जी जॉब कार्डस बनाए जा रहे हैं। इसलिए उसके माध्यम से लोगों तक इसका जो लाभ पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुंच पा रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उड़ीसा में गत दिनों में केबीके जिले में, जो कि देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें ऐसी सूचना मिली है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पाया गया है। एक एनजीओ ने इस प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महोदय, वहां पर जो सौ दिन का रोजगार है, वह पांच-दस दिन से अधिक नहीं मिल पाता और बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र से लोगों का पलायन हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने तथा इसमें अधिक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और इसका लाभ, जिन लोगों के लिए यह स्कीम बनायी गयी है, उन तक पहुंचाने के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं के संबंध में सवाल उठाया, जिसका उत्तर दिया गया है। फिर उन्होंने खास करके एनआरईजीएस, जो देश के लिए मशहूर रोजगार गारंटी कानून लागू हुआ है, उसके संबंध में सवाल उठाया है। सरकार ने पांच सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है जिससे लोगों की आशंका दूर हो जाए। लोग कहते हैं कि गरीब के लिए पैसा जाता है लेकिन उस तक पहुंचता नहीं है। महोदय, उसको निर्मूल करने के लिए, उस संदेह को दूर करने के लिए awareness, जनता की जानकारी, people's participation, जनता की भागीदारी, strict vigilance and monitoring, कड़ी निगरानी, transparency पारदर्शिता और accountability. उसमें पांच सूत्रीय कार्यक्रम रखा गया है। महोदय, यह पांच सूत्रीय कार्यक्रम एक बड़ी सफलता की ओर जा रहा है। माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि किसी एनजीओ ने उड़ीसा में गड़बड़ी की रिपोर्ट दी है, महोदय, वह transparency का कमाल है। जो वेब साइट पर डाला गया है, उसी का अध्ययन करके उन्होंने रिपोर्ट दी है, जो दिल्ली का कोई एनजीओ फूड सिक्योरिटी वाला परशुराम राय है, इन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी है। उसकी जांच-पड़ताल हो रही है और कार्यवाही हो रही है। यह गारंटी नहीं है कि गड़बड़ी होगी ही नहीं, लेकिन रोजगार गारंटी के साथ यह गारंटी है कि जो गड़बड़ी करेंगे, वे पकड़ लिये जायेंगे, इस प्रकार का कानून इस महान सदन ने गंभीरता से पारित किया है कि उसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि कोई गड़बड़ी करेगा, तो वह पकड़ लिया जायेगा, क्योंकि पारदर्शिता, जन-भागीदारी, कड़ी निगरानी इसमें है और माननीय सदस्यों की अध्यक्षता में तीन महीने में वहां पर एक बैठक करके सभी लोगों को उसको देखना होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र लाठ: सर, वहां पर कोई होता नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इसीलिए सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण और उसमें Right to Information शामिल है, सूचना का अधिकार उसमें शामिल है। यह बड़ा देश है, विस्तृत देश है, शुरू में 87 हजार पंचायतों में यह लागू हुआ, कतिपय शिकायतें, कहीं-कहीं awareness नहीं हैं, इसकी आयी हैं, लेकिन उस पर हम लगे हुए हैं, बहुत सफलता की ओर हम बढ़े हैं। शुरू के चरण में दो करोड़ दस लाख परिवारों को रोजगार मिला, 22 लाख परिवारों को सौ दिनों तक रोजगार मिला और जगह पर कभी खेती का समय होता है, तो खेती के समय में मजदूर खेत में काम करने के लिए जाते हैं, इसमें कार्य करने के लिए नहीं आते हैं। वे lean पीरियड में इसमें आना चाहते हैं। इससे पलायन रुका है, माइग्रेशन रुका है इसकी रिपोर्ट है, इसकी सफलता की कहानियां हैं। महोदय, आज ही आपने कृपा करके इस पर बहस की स्वीकृति दी है। इस पर बहस होगी तथा देश, को दुनिया को और सभी-को जानकारी हो जायेगी। इस पर सदन में बहस कराने के लिए मैं प्रसन्न हूं और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि रोजगार गारंटी स्कीम पर सदन में बहस कराने के लिए आपने स्वीकृति दी है।

श्री सभापति: आप उनका दूसरा सवाल भी सुन लीजिए।

श्री सुरेन्द्र लाठ: सर, मेरा दूसरा सवाल इंदिरा आवास स्कीम के बारे में है। मेरी जानकारी के अनुसार सरकार इंदिरा आवास में 25 हजार रुपये प्रति घर के हिसाब से देती है। किन्तु हम सब जानते हैं कि इन दिनों में सीमेंट, लोहे तथा अन्य बिल्डिंग मैटिरियल्स के दाम बहुत बढ़े हैं और उसके कारण से 25 हजार रुपए में आज किसी भी घर का निर्माण करना सम्भव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस 25 हजार रुपए की राशि को और अधिक बढ़ाने के बारे में विचार करेगी?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का कहना ठीक है। पहले मिलता था 12 हजार रुपए और 12 हजार रुपए से बढ़कर हुआ 14 हजार रुपये और 14 हजार रुपये से बढ़कर 20 हजार रुपये हुआ और 20 हजार रुपए से बढ़कर 25 हजार रुपये हुआ है। महोदय, यह सहायता दी जाती है, लेकिन यह ठीक बात है कि 25 हजार रुपए में घर कैसे बनेगा। हम इस पर विचार कर रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष से हम प्रयत्न कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)....

श्री रूद्रनारायण पाणि: आपके टाइम में नहीं बढ़ा है, दूसरे नेताओं के टाइम में बढ़ा है।

श्री सभापति: पाणि जी, जवाब देने दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: आपका टाइम आयेगा, तो वह भी खत्म हो जायेगा। महोदय, हम उसको बढ़ाने के लिए विचार कर रहे हैं।

DR. P.C. ALEXANDER: Sir, a question has been raised that among various rural development schemes, the Rural Employment Scheme has been lagging behind in some States. I would like the hon. Minister to inform the House whether any study has revealed that wherever a State has appointed special staff for the rural Employment Scheme, the progress has been very satisfactory, and the unsatisfactory progress has been particularly in States where no staff has been appointed exclusively for this. Will the hon. Minister consider the need and importance of having special staff to make sure that the money allotted is properly spent?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हम बराबर तत्पर हैं और अध्ययन भी कराया गया है तथा बराबर जांच रिपोर्ट भी आ रही है। जिन राज्यों ने जल्दी अतिरिक्त कर्मचारी, अधिकारी नियुक्त कर लिए हैं, उनकी performance better है और जिन लोगों ने देर की है अथवा नहीं नियुक्ति नहीं की है, उनका काम जरूर पीछे चल रहा है। इसलिए हमने सब राज्य सरकारों को हिदायत दी है और माननीय मुख्य मंत्री जी से लिखा-पढ़ी की है। महोदय, 4 फीसदी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट का प्रावधान किया गया है। उसमें हर एक पंचायत एक अतिरिक्त कर्मचारी, रोजगार सेवक को ट्रेनिंग देकर रखा है और प्रोग्राम आफिसर को ब्लॉक में रखा है। वहां इंजीनियर्स की कमी है। हमने लगभग पांच पंचायतों के ऊपर एक जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति करने के लिए कहा है कि इनकी नियुक्ति की जाए। उसका कम्प्यूटराइजेशन हो और MIS की सुविधा हो तथा ऑन लाइन मॉनिटरिंग आदि करने के लिए हम राज्यों की सहायता कर रहे हैं। जो राज्य सरकारें उत्साह से कार्य कर रही हैं, उनका काम comparatively अच्छा है और आहिस्ता चल रही हैं, उनका काम कुछ पीछे है, लेकिन आम तौर से सब राज्य सरकारें आगे-पीछे होकर, आगे आ रही हैं। माननीय सदस्य का कहना जायज है कि जहां पर अतिरिक्त कर्मचारी बहाल हो गए, प्रशिक्षित हो गए, PRI Institutions को प्रशिक्षण मिल गया, तो वहां तुलनात्मक काम अच्छा है और जहां देर हुई है, वहां कुछ काम पीछे है।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Mr. Chairman, Sir, through your intermediary, I would like to ask the Minister the question that in the table that he has given relating to Uttar Pradesh, the number of districts have increased from 22 to 39 and the other figures, more or less, are the same for six months as for the whole year. That is understandable because the second figures are only for six months. How does it reflect on the financial outlays for the two years?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, यह शुरू में देशभर में 200 जिलों में लागू हुआ था और यह उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में लागू हुआ था जब यह दूसरे चरण में 130 जिलों में लागू हुआ, तो उस समय उत्तर प्रदेश में शिमली का चुनाव हो रहा था। इस वजह से दो-तीन महीनों तक देश के अन्य राज्यों में जो दूसरे चरण में शुरुआत हुई, उसके दो-तीन महीने बाद वहां काम शुरू हुआ। इसलिए, माननीय सदस्य इस तरह की figures देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के second phase में 17 जिलों में लागू है। उसको लागू करने में विलम्ब हुआ है, अभी जैसे देशभर के सभी जिलों में लागू करने का निश्चय हो गया है, तो हमने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की वजह से पैसे नहीं भेजे हैं। हम वहां पर चुनाव के बाद पैसे भेजेंगे, तो उनका काम तो कुछ पीछे हो ही जाएगा।

श्री उर्खाव गोरा ब्रह्म: महोदय, मैं मंत्री जी से जॉब कार्ड के बारे में जानना चाहूंगा कि आप कुछ दिन पहले असम में गए थे, खासकर Bodland area में, उस समय आने NEGS के अंतर्गत जितने काम किए, आपने उसका एक समदर्शन बताया था। आपके वहां से आने के बाद जॉब कार्ड को लेकर हंगामा हो गया, Kokhrajar जिले में 39 हजार लोगों ने इकट्ठे होकर एक ब्लॉक डेवलेपमेंट ऑफिस के सम्मुख आन्दोलन किया और जो उनके नाम पर जॉब कार्डस् दिए गए, वे उन लोगों को नहीं मिले। वे एक-आध लोगों के हाथों में जमा हैं। तो इसके बारे में क्या व्यवस्था की जाएगी? क्या आपके पास यह जानकारी है? जहां तक रोज़गार का मामला है, असम में NREGS के अंतर्गत कितने हजार लोगों को रोजगार दिलाया गया है, क्या कृपा करके आप इसके बारे में बताएंगे?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हम Kokhrajar जिले में गए थे। वहां पर 15-20 हजार लोगों की सभा थी और सारे लोग प्रसन्न थे। वहां पर आई नदी से 20-25 हजार की आबादी बाढ़-ग्रस्त हो जाती थी। वहां पर यह

रोज़गार गारंटी का मामला है कि फ्लड प्रोटेक्शन के लिए जो बांध बना है, जब सम्पूर्ण असम में बाढ़ आई, असम में बाढ़ आई, लोग तबाह हुए, लेकिन वह 20-25 हजार की आबादी तथा उसके 30-35 गांव बाढ़ से मुक्त रहे और वहां पर बाढ़ नहीं आ सकी। किसी कतिपय स्थान पर कोई हेरा-फेरी हो सकती है, क्योंकि यह इतनी सारी पंचायतों में यह लागू है, कहीं कमजोरियां, कहीं गलतियां और कहीं फरेब भी हो सकता है, लेकिन वे पकड़ लिए जाएंगे. इसमें ऐसा प्रावधान है, इसलिए वे खास स्पेसिफिक बता रहे हैं। महोदय, असम में 6 लाख, 3 हजार, 8 सौ तीन, number of households who have demanded employment, number of households provided employment . 5 lakh, 78 हजार, 578, यह असम की रिपोर्ट है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Separate labour laws for SEZs

*284. SHRI MAHENDRA MOHAN: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government intends to have separate labour laws for Special Economic zones (SEZs);

(b) if so, the details thereof and the kind of changes contemplated in the existing labour laws;

(c) whether Government has consulted the various stakeholders in this regard;

(d) how labour disputes are currently dealt with in the existing set up;

(e) whether Government has received any representations in this regard; and

(f) if so, what kind of dispute settlement mechanism has been desired by the workers in the SEZs?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(d) to (f) In the Special Economic zones (SEZs) where the Development Commissioners (DCs) of the Zones are declared as 'Labor Commissioners' by the respective State Governments, the DCs exercise the same dispute resolution mechanism as exercised by the State Government Labour Officers. While the State Labour Department officials are also consulted/involved in case of major disputes, minor disputes are resolved in the zone through consultations with the DC of the Zone and his staff Representations suggesting that there should not be any dilution of workers' rights in the Special Economic Zones (SEZs) were received.

Extension of NREGS

*286. SHRI DARA SINGH:
SHRI RAMDAS AGARWAL:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state: